1846

प0स0—स्था—1—विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण / 2025—26 / / राज्य कर,

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 16/07/ 2025

—::आदेश::—

नवपदोन्नत राज्य कर अधिकारियों का आधारभूत / व्यावसायिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिनांक **21.07.2025** से **14.08.2025** के मध्य आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नवपदोन्नत राज्य कर अधिकारियों को जी0एस0टी0 अधिनियम, Accountancy / Balance Sheet एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों से संबन्धित प्रशिक्षण, फील्ड में व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान में फील्ड के अनुभव पर आधारित ग्रुप डिस्कशन, कार्यशाला एवं फील्ड की आवश्यकताओं के अनुरुप व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु निम्न नवपदोन्नत राज्य कर अधिकारियों को नामित किया जाता है :—

नवपदोन्नत राज्य कर अधिकारी

S.N.	EMP ID	NAME	PESENT POSTING	M.N.
1	2	3	5	6
1	127832	VIRENDRA KUMAR ARYA	CTT UTTAR PRADESH, LUCKNOW	9450652023
2	127833	RAJESH KUMAR	CTT UTTAR PRADESH, LUCKNOW	7753094144
3	127834	SURESH CHANDRA DOHARE	ADDITIONAL COMMISSIONER GRADE-1 AGRA	9411400010
4	127835	ASHOK KUMAR SRIVASTAVA	ADDITIONAL COMMISSIONER GRADE-1 PRAYAGRAJ	9935359344
5	127836	VINDESHWARI PRASAD	ADDITIONAL COMMISSIONER GRADE-1 PRAYAGRAJ	9936392661
6	127837	DEVANAND AWASTHI	AC ADMIN UNNAO	9839233479
7	127838	RAGHURAJ SINGH	ADDITIONAL COMMISSIONER GRADE-1 KANPUR	9935631805
8	127839	MANISH SHARMA	ADDITIONAL COMMISSIONER GRADE-1 AGRA	9259523971
9	127841	ANURAG	ADDITIONAL COMMISSIONER GRADE-1 KANPUR	9971435271
10	127842	RANJEET SINGH	ADDITIONAL COMMISSIONER GRADE-1 MEERUT ZONE MEERUT	9149111214
11	127843	MUSANJAF ALI	ADDITIONAL COMMISSIONER GRADE-1 SAHARANPUR ZONE SAHARANPUR	9927759843
12	127844	ASHOK KUMAR SHARAMA	DC SECTOR-1 AMETHI	9839207179
13	127845	KAMLESH KUMAR	DC SECTOR-3 DEORIA	9838895231
14	127846	MUSTHAK AHMAD	DC SECTOR-11 GHAZIABAD	8448202297
15	127848	YOGENDRA PRAKASH SINGH	JT. COMM. (E) LUCKNOW A	9450685992
16	127849	RAM KISHORE PAL	ADDITIONAL GRADE-2 APPEAL-4 LUCKNOW	9451688377
17	127850	RUDRA PRASAD KHANAL	JT. COMM. (E) GHAZIABAD A	9958782771
18	127851	SUNIL KUMAR GAUTAM	JC TAX AUDIT -I GHAZIABAD	9873894651
19	127852	SHRAVAN KUMAR DIXIT	ADDITIONAL GRADE-2 APPEAL-2 GHAZIABAD	9811715835
20	127853	KRISHNA GOPAL	ADDITIONAL COMMISSIONER GRADE-1 KANPUR	9793373593
21	127854	SHARAD KUMAR	ADDITIONAL COMMISSIONER GRADE-1 JHANSI	9452026974
22	127855	SANJAY DIXIT BANDHAVKAR	ADDITIONAL COMMISSIONER GRADE-1 KANPUR II	7355710857
23	127827	PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA	DC (Admn.), GHAZIABAD -I	8586030138
24	000086	SHASHI PRABHA CHAUDHARY	CTT UTTAR PRADESH, LUCKNOW	8400148041

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक **21.07.2025** से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से अपर निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान लखनऊ के कार्यालय में प्रत्येक दशा में **दिनांक 21.07.2025 की प्रातः 9.00 बजे** उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगें।

प्रशिक्षु अधिकारी के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैः—

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी प्रशिक्षु अधिकारी को अनुमति नहीं होगी ।

- प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें।
- संस्थान में प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा ।
- प्रशिक्षु अधिकारियों के खान–पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेंगी। मेस में भोजन का व्यय प्रशिक्षु अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना/मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन प्रशिक्षुओं के पास मोबाईल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे प्रशिक्षु अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन प्रशिक्षु अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा । इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
- **आधारभूत/व्यावसायिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।**
- प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने साथ प्रशिक्षण व्यय हेतु पर्याप्त धनराशि लेकर आयें तथा शेष अवधि हेतु भी अपने खर्चे हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था रखें ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा ।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त राज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठॉकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग–1 उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जोन में सम्बद्व/तैनात नवपदोन्नत राज्य कर अधिकारियों (संलग्न सूची) को **दिनांक–21.07.2025** से प्रारम्भ हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु तत्काल अपने स्तर से अवमुक्त करते हुए उन्हें प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संयुक्त निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ ।
6. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय।
8. कम्प्यूटर आपरेटर, (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाईट/ EIS SYSTEM पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
9. संबन्धित अधिकारियो की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(श्याम प्रसाद)
अपर आयुक्त ग्रेड–2 राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।